न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या 28/2017 खाद्य सुरक्षा
उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा	**बनाम**	1. श्री आशुतोष आचार्य पुत्र श्री कविशंकर आचार्य विक्रेता, मैसर्स– आशुतोष इण्डस्ट्रीज,नई नगरी, मेजा रोड, माण्डल, भीलवाडा स्थाई पता – नई नगरी मेजा रोड, माण्डल भीलवाडा 2. श्रीमति इन्द्रा आचार्य पत्नि श्री कविशंकर आचार्य मालिक मैसर्स– आशुतोष इण्डस्ट्रीज,नई नगरी, मेजा रोड, माण्डल, भीलवाडा स्थाई पता – नई नगरी मेजा रोड, माण्डल भीलवाडा
– प्रार्थी		**---विपक्षी**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–
1 श्री संजय सिह खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाडा
2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

दिनांक 21.06.2017

आदेश

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षीगण के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी श्री आशुतोष आचार्य पुत्र श्री कविशंकर आचार्य विक्रेता, मैसर्स– आशुतोष इण्डस्ट्रीज,नई नगरी, मेजा रोड, माण्डल, भीलवाडा (राज.) पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय बाबत् ब्रेड, टोस इत्यादि का निर्माण कर विकय कर रहा था। मैसर्स आशुतोष इण्डस्ट्रीज,नई नगरी, मेजा रोड, माण्डल, भीलवाडा (राज.) का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विकय हेतु 200–200 ग्राम के 50 पैकेट ब्रेड

(ब्राण्ड सुरस) के रखे हुए थे। एक पैकेट को ध्यान से देखने पर Brand – Bread Suras, Betch No. Not Mention, Net Weight 200 Gm, Use Date 22-06-2016 Mfg By- Ashutosh Industrial MDL Bhilwara इत्यादि अंकित था। मौके पर रखे ब्रेड (ब्राण्ड सुरस) में मिलावट एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर एफएसएस एक्ट 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म 5-A में दी। नियमानुसार ब्रेड (ब्राण्ड सुरस) का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद जाँच नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया। विपक्षीगण के विरूद्व न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य लाईसेंस की छायाप्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत् लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16/06/2016 को समय 03:30 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त चैकिंग हेतु मैसर्स आशुतोष इण्डस्ट्रीज,नई नगरी, मेजा रोड, माण्डल, भीलवाडा पर पहुंचा। विक्रेता को परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया एवं विकेता का परिचय लिया इस समय दुकान पर खाद्य विकेता की हैसियत से श्री आसुतोष आचार्य पुत्र श्री कविशंकर आचार्य विक्रेता, उम्र– 32 वर्ष, जाति –आचार्य, निवासी – नई नगरी, मेजा रोड, माण्डल भीलवाडा (राज.) उपस्थित था एवं आम जनता को उपयोग हेतु ब्रेड,टॉस, आदि आम जनता को विक्रय कर रहा था। मौके पर विकेता से वर्ष 2016 का खाद्य लाईसेंस मांगा गया विकेता खाद्य लाईसेंस की प्रति प्रस्तुत कीं। प्रस्तुत खाद्य लाईसेंस में मालिक का नाम श्रीमति इन्द्रा आचार्य पत्नि श्री कविशंकर आचार्य मैसर्स आशुतोष इण्डस्ट्रीज,नई नगरी, मेजा रोड, माण्डल, भीलवाडा खाद्य लाईसेंस नम्बर 12215016000020 अंकित था।

मैसर्स आशुतोष इण्डस्ट्रीज,नई नगरी, मेजा रोड, माण्डल, भीलवाडा का विकेता एवं गवाहों की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु ब्रेड (ब्राण्ड सुरस) 200–200 ग्राम के 50 पैकेट ब्रेड (ब्राण्ड सुरस) के रखे हुए थे। एक पैकेट को ध्यान से देखने पर Brand – Bread Suras, Betch No. Not Mention, Net Weight 200 Gm, Use Date 22-06-2016 Mfg By- Ashutosh Industrial MDL Bhilwara इत्यादि अंकित था। मौके पर रखे ब्रेड (ब्राण्ड सुरस) में मिलावट एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर एफएसएस एक्ट 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म 5-A में दी एवं रसीद प्राप्त की। मौके पर गवाह एवं विकेता की उपस्थिति में ब्रेड (ब्राण्ड सुरस) के 200–200 ग्राम के 4 पैकेट वास्ते जाँच हेतु एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत एवं खरीदे एवं इस बाबत् 60/– रू अक्षरे साठ रूपये मात्र नकद देकर रसीद प्राप्त की।

इन खरीदशुदा चारों पैकेटों को गवाह व विकेता के सामने खोलकर, प्रत्येक ब्रेड के पैकेट में रखी हुई ब्रेड को छोट छोटे टुकडो में विभाजित कर चार साफ, सुखे, खाली चौडे मुंह के प्लास्टिक के कन्टेनरों में डाला । प्रत्येक कन्टेनर में 16 – 16 बूंदे फॉर्मेलिन

बतौर प्रिजरवेटिव डालकर ढक्कन लगाकर, ऐयर टाईट बन्द किया। प्रत्येक नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार भर कर उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एक्स–145 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैंनें स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को ब्रेड के लेबल को साथ में रख कर , अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर, प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. एक्स–145 जो श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी भीलवाडा डॉ. जगदीशचन्द्र जीनगर द्वारा हस्ताक्षरित थी, जो कि मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों नमूना भागों पर सिर से लेकर पेंदे तक एवं पेंदे से सिर तक लगातार नियमानुसार गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी किया नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैनें व गवाहों ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक सील्ड नमूना भागों पर विक्रेता श्री आशुतोष आचार्य पुत्र श्री कविशंकर आचार्य के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये। चारों सील्ड नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौका फर्द तैयार कर पढकर, पढाकर, समझाकर, होशोहवास में हस्ताक्षर करने को कहा गया जिसे सभी ने सत्य मानकर हस्ताक्षर किये । सभी कार्यवाही गवाहों व विक्रेता के सामने पूर्ण की गई। जिस सील से नमूना भागों कों सील चपडी किया था उसका मोनोग्राम मौके पर पंचनामें पर अंकित किया गया साथ ही मेरे द्वारा मौके पर गवाहों की उपस्थिति में विक्रेता को लिए गये नमूने की जाँच एक्रीकेटेड लेब में करवाने की सूचना भी दे दी गई थी। लिये गये खाद्य नमूना संख्या एक्स 145 को खाद्य प्रयोगशाला अजमेर भिजवाया गया। शेष बचे भागों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा करावाया गया।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. L.S. 388/Act/2016/452 दिनांक 26/07/2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, ब्रेड (ब्राण्ड सुरस) निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया। जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी संख्या 1 श्री आशुतोष आचार्य पुत्र श्री कविशंकर आचार्य विकेता/मालिक मैसर्स आशुतोष इण्डस्ट्रीज,नई नगरी, मेजा रोड, माण्डल, भीलवाडा एवं विपक्षी सं. 02 श्रीमति इन्द्रा आचार्य पत्नि श्री कविशंकर आचार्य मालिक मैसर्स आशुतोष इण्डस्ट्रीज,नई नगरी, मेजा रोड, माण्डल, भीलवाडा द्वारा मिसब्राण्डेड ब्रेड (ब्राण्ड सुरस) का निर्माण एवं विकय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में 24.04.2017 को प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 24.04.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 31.05.2017 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार एवं विपक्षी स्वयं उपस्थित है।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षीगण संख्या 01 से लिया गया खाद्य नमूना ब्रेड (ब्राण्ड सुरस) मिसब्राण्डेड होना पाया गया है । प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि ब्रेड (ब्राण्ड सुरस) के लेबल पर Class II Preservatives का उल्लेख किया गया। किन्तु खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 (पैकेजिग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 के तहत के नियम 2.2.2(5)के अनुसार नहीं किया गया। लेबल पर निर्माता का नाम व पता पूर्ण रूप से अंकित होना चाहिए किन्तु निर्माता फर्म के द्वारा लेबल पर पूर्ण नाम व पता का अंकन नही किया गया एवं निर्माता फर्म द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 (पैकेजिग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 के तहत के नियम 2.2.2(6)के नियम का उल्लघंन किया गया। इसलिए लिया गया खाद्य नमूना ब्रेड ब्राण्ड सुरस मिसब्राण्डेड होना पाया गया। इस प्रकार निर्माता फर्म द्वारा मिसब्राण्डेड ब्रेड ब्राण्ड सुरस का निर्माण एवं विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा विपक्षीगण को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये, पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया , किन्तु विपक्षीगण द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षीगण जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है ।

पत्रावली मे विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब को पढा गया। उक्त जवाब में विपक्षीगण संख्या 01 के द्वारा अवगत कराया कि पैकेट के रेपर पर जो पता लिखा गया है। वहां माण्डल के स्थान पर एमडीएल लिखा गया । रेपर पर कस्टमर केयर न. लिखे गये है, जो पूर्णत चालू है। पैकेट रेपर को बदलवाया जा चुका है। नये रेपर प्रिन्ट करवा दिये गये है। साथ ही भविष्य में इस प्रकर की गलती नहीं करने का निवेदन किया गया।

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी । पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. L.S. 388/Act/2016/452 दिनांक 26/07/2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, ब्रेड (ब्राण्ड सुरस) निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 (पैकेजिग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 के तहत के नियम 2.2.2(5)के अनुसार नहीं किया गया। लेबल पर निर्माता का नाम व पता पूर्ण रूप से अंकित होना चाहिए किन्तु निर्माता फर्म के द्वारा लेबल पर पूर्ण नाम व पता का अंकन नही किया गया एवं निर्माता फर्म द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 (पैकेजिग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 के तहत के नियम 2.2.2(6)के नियम का उल्लघंन किया गया। इसलिए लिया गया खाद्य नमूना ब्रेड ब्राण्ड सुरस मिसब्राण्डेड होना पाया गया। इस प्रकार निर्माता फर्म द्वारा मिसब्राण्डेड ब्रेड ब्राण्ड सुरस का निर्माण एवं विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।** उपरोक्त

विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षीगण संख्या 01 श्री आशुतोष आचार्य पुत्र श्री कविशंकर आचार्य विक्रेता/मालिक मैसर्स आशुतोष इण्डस्ट्रीज,नई नगरी, मेजा रोड, माण्डल, भीलवाडा एवं विपक्षीगण सं. 02 मिसब्राण्डेड ब्रेड (ब्राण्ड सुरस) का निर्माण एवं विक्रय करने के लिये दोषी हैं। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में मिसब्राण्डेड पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षीगणों को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत विपक्षी सं. 01 से लगायत 02 पर 15,000/–रूपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/6/17
(एल0आर0गुगरवाल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3. कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
4. श्री आशुतोष आचार्य पुत्र श्री कविशंकर आचार्य विक्रेता,
   मैसर्स– आशुतोष इण्डस्ट्रीज,नई नगरी, मेजा रोड, माण्डल, भीलवाडा
   स्थाई पता – नई नगरी मेजा रोड, माण्डल भीलवाडा
5. श्रीमति इन्द्रा आचार्य पत्नि श्री कविशंकर आचार्य मालिक
   मैसर्स– आशुतोष इण्डस्ट्रीज,नई नगरी, मेजा रोड, माण्डल, भीलवाडा
   स्थाई पता – नई नगरी मेजा रोड, माण्डल भीलवाडा

21/6/17
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाडा